भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2361**

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय : वनीला किसानों को सहायता**

2361. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बागानों में प्राकृतिक वनीला फसल की कृषि में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पश्चिमी घाट क्षेत्र प्राकृतिक वनीला की कृषि के लिए आदर्श स्थान है, परंतु वर्तमान में कवक के कारण इसकी कृषि करना संभव नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बीमारी को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और किसानों को वनीला की कृषि हेतु क्या सहायता दी जा रही है?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएसआर), केरल ने वनीला की कृषि पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए आंतरिक क्षमता विकसित की है। संस्थान पॉली हाउस और फील्ड कंजर्वेटरी में विभिन्न एक्सेसरीज से युक्त वनीला के एक बड़े जर्मप्लाज्म रिपॉजिटरी का रखरखाव करता है। संस्थान वनीला के रोपड़ और उत्पादकों के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है और वनीला में रोपण सामग्री उत्पादन के लिए प्रोटोकॉल भी स्थापित किया है तथा कृषक समुदाय के लिए वनीला फसल की रोपण सामग्री का उत्पादन करता है ताकि गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। वनीला की प्रमुख बीमारियाँ स्टेम रॉट/ रुट रॉट, बीन रॉट और स्टेम ब्लाइट हैं। आईसीएआर-आईआईएसआर ने इन बीमारियों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत रोग प्रबंधन प्रौद्योगिकी भी विकसित की है।

(ख) एवं (ग): वनीला की कृषि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों पर की जाती है। पश्चिमी घाट क्षेत्र प्राकृतिक वनीला फसल की कृषि के लिए एक आदर्श स्थान है। वनीला को उच्च आर्द्रता और वर्षा आधारित/ सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है एवं आसपास की ट्री कैनोपी और बायोमास से कवक और अन्य संक्रमण का खतरा होता है। कवक रोग वनीला की कृषि को सीमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

कर्नाटक सरकार वनीला फसल सहित बागवानी फसलों में पौध संरक्षण उपाय करने के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 7500 रुपये और अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान कर रही है।

******